उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

Mutation Revision Case No.-106/2022
जहूर मियां एवं अन्य
–बनाम–
मो0इस्लाम एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22/6/24	प्रस्तुत मामला अपीलार्थी जहूर मियां एवं अन्य द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग के द्वारा म्यूटेशन रिविजन वाद संख्या 06/2013 में दिनांक 29.01.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलवाद दायर है। **वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है:–** 1. अपीलार्थी का कहना है कि प्रतिवादी के द्वारा 90 वर्ष के अन्तराल के बाद महबूब मियां और बीबी जुबैदा खातुन ने गलत तथ्यों एवं गलत बयान पर सच को छुपाते हुए अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के कैम्प कोर्ट में दिनांक 27.07.2011 दाखिल खारिज का आवेदन दाखिल किया गया। जो खाता संख्या–03, प्लॉट संख्या–64 रकबा–16 डिसमिल, प्लॉट संख्या 673 रकबा 4.5 डिसिमल, प्लॉट संख्या 674 रकबा 56.5 डिसमिल, प्लॉट संख्या–675 रकबा 21.5 एकड एवं प्लॉट संख्या 1163 रकबा 1.2 से संबंधित है। 2. अपीलकर्त्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता को अंचल अधिकारी, सदर द्वारा कैंप कोर्ट में दिनांक 27.07.2011 को पारित आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परन्तु वर्ष 2013 में अपीलकर्त्ता बकाये लगान रसीद का भुगतान करने संबधित हल्का कर्मचारी से सम्पर्क किये तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि संबंधित भूमि का दाखिल खारिज महबूब मियां, बीबी जुबैदा एवं लियाकत हुसैन के नाम से निष्पादित किया जा चुका है। उक्त आदेश के बारे में पता चलने पर अपीलकर्त्ताओं ने उसकी प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया जिसके क्रम में तदनुसार विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग के समक्ष दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 06/2013 दायर की गयी। 3. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग के समक्ष अपीलकर्त्ता का मामला यह था कि ग्राम जबरा थाना सदर, जिला–हजारीबाग में स्थित खाता संख्या–03 की भूमि भोला मियां के पुत्र अमरली मियां, हारो मियां	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

के पुत्र बिहारी मियां एवं लटन मियां के नाम पर अंतिम कैडस्ट्रल सर्वेक्षण में बराबर का हिस्सा था। जिसमें अमरली मियां की निसंतान मृत्यु हो गयी और इस प्रकार पूरी भूमि अमरली मियां के नाम पर खाता संख्या 3 के तहत दर्ज भूमि लटटन मियां एवं बिहारी मियां को हस्तांतरित हो गई, जो पूरी भूमि के मालिक एवं टाइटल धारक बन गए।

4. अपीलकर्त्ता ने आगे कहा कि अपीलकर्त्ता लटन मियां के कानूनी उत्तराधिकारी हैं और प्रतिवादी बिहारी मियां के कानूनी उत्तराधिकारी हैं जो वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन के नीचे संलग्न वंशावली तालिका से स्पष्ट होगा।

5. अपीलार्थी का कहना है कि प्लॉट संख्या 84 की भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.53 एकड़ है, को दर्ज रैयत द्वारा सरकार को सरेण्डर कर दिया गया था। खास महाल वाद संख्या 136/1939–40 में उक्त सरेण्डर के बदले में 0.53 एकड़ क्षेत्रफल वाली भूमि का बन्दोबस्त किया गया, अर्थात प्लॉट संख्या 1163 का हिस्सा गैर मजरूआ भूमि है। उपरोक्त भूमि के अलावा 1.52 एकड़ रकबा वाली भूमि भी विशेष रूप से लटन मियां के नाम से खास महाल केस संख्या 136/139–40 के तहत 19 रू0 वार्षिक लगान पर दिनांक 01.04.1939 के प्रभाव से बन्दोबस्त की गई थी।

6. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग के विद्वान न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का मामला था कि खाता संख्या 03 के दर्ज रैयत प्लॉट संख्या–1163 रकबा 1.52 एकड को छोडकर खाता संख्या 03 की भूमि पर संयुक्त कब्जे में बने रहे जो आ रही थी। बिना किसी रूकावट के , बिहारी मियां एवं लटन मियां के उनके जीवनपर्यन्त यह सिलसिला चलता रहा।

7. अपीलार्थी ने आगे कहा कि लटन मियां की मृत्यु के बाद लटन मियां के कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते अपीलकर्त्ता आए और बिना किसी आपत्ति या बाधा के प्लॉट संख्या–1163 रकबा 1.52 एकड़ की भूमि के कब्जे में बने रहे। उन उत्तरदाताओं का कहना है कि जो बिहारी मियां के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें लटन मियां के नाम पर नाम पर उपरोक्त

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

भूमि के बन्दोबस्ती की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई और अब भी अपीलकर्त्ता शांतिपूर्ण तरीके से कब्जे में आ रहे हैं। सभी को जानकारी है कि वे उक्त भूमि के लिए लगातार लगान का भुगतान करते रहे हैं और तदनुसार लगान रसीद प्राप्त करते रहे हैं।

6. अपीलकर्त्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी ने लटन मियां के नाम पर तय की गई भूमि पर सबसे पहले नजर रखी और अवैध और झूठी कहानी पर संयुक्त संपत्ति का दावा करते हुए उपरोक्त भूखण्ड के विभाजन के लिए न्यायालय सब जज–1, हजारीबाग के न्यायालय में मुकदमा दायर किया। मुकदमा दायर करने के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी वे अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सके।
7. अपीलार्थी का कहना है कि प्रतिवादी एक तरफ संयुक्त मालिक होने का दावा कर रहे हैं जिसके लिए पार्टीशन सूट संख्या 146/2011 दायर किया गया है और दूसरी तरफ अलग–अलग दाखिल खारिज के संबंध में उक्त आवेदन दायर किया गया है। जैसा की उपर उल्लेख किया गया है, जो वास्तव में साबित करता है कि उत्तरदाता दो अलग–अलग अदालतों में बिना किसी अधिकार स्वामित्व और दखल के भूमि पर दावा करने की कोशिश कर रहे हैं।
8. इसके बाद प्रतिवादी ने पूरे मामले का प्रबंधन करते हुए कैंप कोर्ट में दिनांक 27.07.2011 को पारित आदेश प्राप्त किया,जिसके विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष पुनरीक्षण अपील वाद संख्या 06/2013 दायर किया गया, जिसने मामले की सुनवाई की और बिना प्रतिवादियों को सूचित किये आदेश पारित कर दिया गया। जिसके क्रम में वर्तमान पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि विद्वान न्यायालय ने इस बात पर विचार न करके अभिलेखों की एक गंभीर त्रुटि की है कि खाता संख्या 03 की भूमि दर्ज रैयतों के कानूनी उत्तराधिकारियों की संयुक्त सम्पति है, फिर विशेष रूप से प्रतिवादियों के नाम पर अलग क्षेत्र और अलग भूखण्ड के लिए दाखिल खारिज की अनुमति कैसे दी जा सकती है

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

विद्वान न्यायालय ने इस बात पर विचार न करके अभिलेखों की एक गंभीर त्रुटि की है कि उसी भूमि के लिए विभाजन का मुकदमा संख्या 146/2011 सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में लंबित है और इस तरह आक्षेपित आदेश पारित करना उचित नहीं है।

विद्वान न्यायालय ने इस तथ्य के संबंध में जांच न करके गंभीर त्रुटि की है कि प्रतिवादी ने पूरे क्षेत्र के लिए दाखिल खारिज का आवेदन किया है जो खतियान के अनुसार उनका नहीं था।

टिप्पणी कॉलम में विशेष रूप से कहा गया है कि प्लॉट संख्या 1163 रकबा 1.52 एकड़ की बन्दोबस्ती खास महाल वाद संख्या 136/1939–40 के तहत लटन मियां के नाम से ही की गयी थी।

विद्वान न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार न करके अभिलेखों की एक गंभीर त्रुटि की है कि किसी भी परिस्थिति में प्लॉट संख्या 1163 रकबा 1.52 एकड़ की भूमि का दाखिल खारिज चालू खतियान की उपस्थिति में नहीं किया जा सकता था, जो कि वर्तमान पुनरीक्षण में एनेक्सचर 2 के रूप में बनाया जा रहा है।

विद्वान न्यायालय ने पत्र संख्या 1497 दिनांक 30.10.2013 द्वारा अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट पर विचार न करके रिकार्ड की गंभीर त्रुटि की है, जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा विशेष रूप से कहा गया है कि लटन मियां के नाम खाता संख्या 82, प्लॉट संख्या 1163 रकबा 1.52 एकड़ भूमि का बन्दोबस्ती के रूप में दिखाया गया जो अपीलकत्ताओं के दावे की वास्तविकता को साबित करता है।

विद्वान न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार न करके रिकार्ड की गंभीर त्रुटि की है कि विलेख संख्या 2194 दिनांक 10.02.1986 के आधार पर शेख बिहारी मियां के पुत्र प्रतिवादी वाहिद अली ने केवल खाता संख्या 84 की भूमि को हस्तांतरित कर दिया है। वे भूखण्ड जो उन्हें खतियान के अनुसार विरासत में मिले थे, सिवाय प्लॉट नं0 1163 के , यह भलीभांति जानते हुए कि उक्त जमीन उनकी नहीं है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश का क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपरोक्त तथ्यो को रखते हुए अपीलार्थी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

अपीलार्थी के उपरोक्त तथ्यों के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए निम्न तथ्य प्रस्तुत किए गयेः—

1. अपीलार्थीयों द्वारा वर्तमान रिविजन याचिका कानूनी रूप से और न ही तथ्यात्मक रूप से विचारणी है और खारिज किये जाने योग्य है।
2. अपीलार्थीयों द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 06/13—14 में दिनांक 29.01.2022 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु कोई स्वीकार्य आधार विद्वान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।
3. दिनांक 27.07.2011 को अंचलाधिकारी, सदर ने खाता संख्या 03 के प्लॉट संख्या 64 रकबा 0.16 एकड़, प्लॉट संख्या 673 रकबा 0.04 एकड़, प्लॉट संख्या—674 रकबा 56.5 एकड़, प्लॉट संख्या 675 रकबा—21.5 एकड़ एवं प्लॉट नं0—1163 रकबा—1.2 एकड़ भूमि के संबंध में लटन मियां और बिहारी मियां के पक्ष में म्यूटेशन आदेश पारित किया।
4. अंचल अधिकारी, सदर के द्वारा म्यूटेशन के उक्त आदेश के विरूद्ध याचिकाकर्त्ताओं द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग की अदालत में अपील दायर की गई थी, जिससे म्यूटेशन अपील संख्या 06/2013 प्रारम्भ हुआ।
5. विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग ने मामले की सुनवाई के बाद उक्त अपील को खारिज कर दिया।
6. विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने माना था कि वाहिद अली अपने पीछे दो पुत्रियों जुबैदा खातुन पत्नी लियाकत हुसैन और अख्तरी बानो पत्नी सलीम और दो और बेटियों जाहो और अमीना और एक बेटा एनुल को छोड़कर मृत हो गये। अपने जीवनकाल के दौरान ऐनुल की आमना खातुन और जोहरा खातुन के साथ मृत्यु हो गई और इस तरह मुस्लिम कानून के अनुसार उन्हें जुबैदा खातुन और अख्तरी द्वारा विधिवत विरासत में मिली जमीन के हिस्से को विरासत में लेने से रोक दिया

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

गया था। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग ने दाखिल खारिज को सही माना।

7. यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि खास महाल केश संख्या 136/139–40 द्वारा राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र के लिए 0.53 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। चूंकि जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया था वह प्रकृति में गैरमजरूआ खास थी, राज्य सरकार ने खाता संख्या 3 के सभी रैयतों को निम्न प्रकृति की 2.05 एकड़ भूमि का बंदोबस्त कर दिया। इस प्रकार रैयतों के पास कृषि योग्य भूमि आ गई और वे उस पर संयुक्त रूप से काबिज हैं। इस तरह याचिकाकत्ताओं के पास कोई मामला ही नहीं बनता। याचिकाकत्ताओ का यह कहना कि प्लॉट नं0 1163 की 1.52 एकड़ जमीन केवल अपीलकर्त्ता के नाम पर बंदोबस्त की गयी थी, सही है क्योंकि खास महाल केस नं0 136/39–40 में 53 डिसमिल जमीन के बदले में 1.52 एकड़ जमीन दी गई है। दोनों दर्ज किरायेदारों अर्थात बिहारी मियां और लटन मियां के नाम पर बंदोबस्ती कर दी गयी है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश विधि संगत है।

8. अपीलार्थीयों द्वारा कहा गया कि पार्टीशन सूट संख्या 46/11 लंबित है, इसलिए वर्तमान अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों को रखते हुए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होता है:–

अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग के पत्रांक 1497 दिनांक 30.10.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–जबरा, थाना नं0–154 के खाता संख्या–82, प्लॉट संख्या–1163, रकबा–1.52 ए0 भूमि खास महाल केश नं0–136/1939–40 के द्वारा लटन मियां के नाम से बंदोबस्त है जो खतियान के कैफियत कॉलम में दर्ज है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उक्त बन्दोबस्त रकवा 1.52 ए0 से 0.76 डी0 भूमि कैम्प कोर्ट दाखिल खारिज केश नं0–16/26/11-12 के द्वारा महबूब मियां पिता–बिहारी मियां के नाम से नामान्तरण होकर पंजी–2 के पेज नं0–21/IX पर जमाबंदी कायम है तथा रसीद 2011–12 तक निर्गत है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन के पश्चात सम्यक विवेचनोपरान्त स्पष्ट होता है कि मौजा–जबरा, थाना नं0–154, प्लॉट संख्या–1163, रकबा–4.30 ए0 किस्म परती कदीम गैरमजरूआ खास खाते की भूमि खासमहाल केश संख्या–136/1939–40 के द्वारा लटन मियां के नाम से बन्दोबस्त होना प्रतिवेदित किया गया है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया उनके द्वारा वर्किंग खतियान की छायाप्रति समर्पित किया गया है, जिससे भूमि का दावा स्पष्ट नहीं होता है। रैयती भूमि के बदले में गैरमजरूआ खास भूमि बन्दोबस्त किया गया, का उल्लेख किया गया है परन्तु इससे संबंधित कोई भी साक्ष्य अपने पक्ष में समर्पित नहीं किया गया, फलतः अपीलार्थीयों के दावे को मान्य नहीं पाया गया।

अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग द्वारा दिनांक 29.01.2022 के द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई विधि सम्मत कारण प्रतीत नहीं होता है। इसी के साथ अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में पहल करने हेतु स्वतंत्र हैं।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

22/6/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

22/6/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.06.25 16:27:03 +05:30
Location: 192.168.1.35